न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, मसौढी।

पुनपुन थाना कांड संख्या–71/2018

जमानत आवेदन संख्या–382/2022

सत्र वाद संख्या–1282/2022

दिनांक–25.01.2023

कारागीन आवेदक अभियुक्त बाबुचरण सिंह की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार द्वारा संचालित किया गया, जिसकी एक प्रति अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। यह वाद निम्न न्यायालय से दौरा सुपूर्द होकर इस न्यायालय में सत्र वाद संख्या–1282/2022 के रूप में दर्ज है। इस आवेदन को सत्र वाद संख्या–1282/2022 के साथ सुना गया।

आवेदक पर पुनपुन थाना काण्ड संख्या–71/2018 धारा–147, 148, 149, 341, 325, 307, 379, 506 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत दर्ज की गयी है, जिसके संबंध में प्रस्तुत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। इस वाद के सूचक ब्रज किशोर सिंह दिनांक–10.03.2018 को समय करीब 10:00 बजे वह अपने खेत में घास काट रहा था कि 1. प्रमोद सिंह, 2. छोटु सिंह, 3. चन्द्रमनी सिंह, 4. गदिल सिंह, 5. बाबुचरण सिंह एवं 6. बुच्ची सिंह उपरोक्त छः भाई एकमत होकर हरवे–हथियार से लैस होकर जान से मारने के नियत से वह अपने खेत में मवेशी के लिये घास काट रहा था, उसी जगह पहुंचकर उसे प्रमोद सिंह और चन्द्रमनी सिंह पकड़ लिया और उसके जेब से उसका मो0 नं0. 9135342417 को निकाल कर ले लिया तथा गदिल सिंह एवं बाबुचरण सिंह अपने हाथ में लिये कुल्हाड़ी से उसके सर पर एवं दाहिना हाथ के बांह पर तथा बायां पैर के ठेहुना के नीचे कुल्हाड़ी से मारकर उसे काफी जख्मी कर दिया उसके बाद बुच्ची सिंह एवं छोटु सिंह अपने–अपने कमर से पिस्तौल निकालते हुये बोला कि बिना गोली मारे नहीं मरेगा और उसके उपर गोली चलाया, लेकिन बाल–बाल गोली मीस कर गया जिससे उसका जान बचा। उसके सर में एवं नाक के बगल में कुल्हाड़ी से कट जाने के बाद शरीर का खुन अधिक निकल जाने के कारण वह अपने ही खेत में जहां घास काट रहा था उसी जगह अपना होस खो दिया उसके बाद जब उसे होस आया तो अपने आप को पी0 एम0 सी0 एच0 जे0 वार्ड के बेड नं0. 16ए पर पाया जहां वह अपने होस–हवास में अपना बयान दिया। उसके परिजन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि हमलावर सभी छः भाई यह धमकी दिया है कि यदि केस मुकदमा करेगा तो इस बार पुरी तैयारी के साथ जान से मार डालुंगा।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का जमानत आवेदन में संक्षेप में कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य किसी प्रकार अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। यह कि आवेदक के विरुद्ध आपराधिक इतिहास पुनपुन थाना काण्ड संख्या–50/2018 के रूप में दर्ज है। यह कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस वाद में गलत तरीके से झूठा फंसाया गया है। यह कि आवेदक दिनांक–19.07.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह कि आवेदक अभियुक्त बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

आवेदक अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक को सुना। सुनवाई के दौरान काण्ड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास तथा सत्र वाद संख्या–1282/2022 को तलब किया गया। मूल अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 307, 325, 379 भा0 द0 वि0 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। आरोप पत्र के

लगातार

25.01.2023

साथ प्रस्तुत काण्ड दैनिकी के पैरा–6 में वादी का पुनः बयान दर्ज है। पैरा–17 में साक्षी सनोज देवी का बयान दर्ज है, जो सूचक की पत्नी है। पैरा–18 में साक्षी रणजीत कुमार का बयान दर्ज है, पैरा–19 में साक्षी विरू कमार का बयान है, जो सूचक का बेटा है, उन्होंने भी घटना का समर्थन किया है। पैरा–30 में सूचक का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें कहा गया है कि उसे कोई दिमागी चोट नहीं है और कोई फ्रैक्चर भी नहीं है। अवलोकन से प्रतीत होता है कि सह–अभियुक्तगण 1. बुच्ची सिंह उर्फ बुच्ची सिंह, 2. प्रमोद सिंह एवं 3. पहलाद सिंह उर्फ छोटे सिंह को माननीय उच्च न्यायालय पटना के कि0 मि0 संख्या–46551/2018 से पूर्व में जमानत प्रदान किया जा चुका है एवं एक अन्य सह–अभियुक्त चन्द्रमणी सिंह उर्फ नागमणी सिंह को माननीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय के न्यायालय से नियमित जमानत आवेदन संख्या–1992/2018 से नियमित जमानत प्रदान किया जा चुका है। अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त को इस वाद में पुनपुन थाना काण्ड संख्या–50/2018 से प्रोडक्शन वारण्ट के आधार पर रिमाण्ड किया गया है। अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि जख्म प्रतिवेदन में जख्म की प्रकृति साधारण बतायी गयी है और उस जख्म प्रतिवेदन पर जो हस्ताक्षर है वह दिनांक–30.02.2018 अंकित है, जो कि संभव नहीं है। आवेदक अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त बताये गये किसी हथियार जैसी चीज की बरामदगी भी नहीं बतायी गयी है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–08.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। बहरहाल अनुसंधान पूर्ण है, इसलिये आवेदक अभियुक्त को अनुसंधान वास्ते न्यायिक अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है और साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक अभियुक्त बाबुचरण सिंह की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुये आवेदक के द्वारा 10,000/– रुपये राशि के समान राशि के दो जमानतदारों, जिसमें एक जमानतदार उसके निकट संबंधी द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। कार्यालय इस आदेश की एक प्रति सत्र वाद संख्या–1282/2022 के साथ संलग्न करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम मसौढ़ी।